

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3037  
दिनांक 11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

ई-कचरा पुनर्चक्रण की वार्षिक क्षमता

3037. श्री राहुल सिंह लोधी:  
श्री दिलेश्वर कामैत:  
श्री सौमित्र खान:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-अपशिष्ट, लिथियम आयन बैटरियों और अन्य प्रकार के स्क्रेप के संबंध में अद्यतन वार्षिक पुनर्चक्रण क्षमता का ब्यौरा क्या है;  
(ख) क्या प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के बाद देश के महत्वपूर्ण खनिज भंडारों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और  
(ग) विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में भारत की आयात निर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला की खामियों को दूर करने में उक्त योजना की प्रभावकारिता क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री  
(श्री सतीश चंद्र दूबे)

(क) से (ग): राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के तहत, सरकार ने ई-अपशिष्ट, बेकार लिथियम-आयन बैटरियों और अन्य स्क्रेप की पुनर्चक्रण क्षमता के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम अनुमोदित की है। स्कीम के दिशानिर्देश जारी किए गए और यह स्कीम दिनांक 02.10.2025 को शुरू की गई। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख दिनांक 01.04.2026 है। यह स्कीम महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जो पश्चिम बंगाल सहित देश में उनकी आयात निर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला की खामियों को कम करती है।

\*\*\*\*\*